न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नगर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी- श्री सुरेन्द्र प्रसाद आर0ए0एस0
वाद संख्या- 21/2019

1 ईशब उम्र 58 साल पुत्र शेर खान
2 जहीरा उम्र 56 साल पत्नी ईशब
जतियान मेव, निवासी ग्राम धनमतपुरा, तहसील व थाना नगर जिला भरतपुर (राज0)
----------प्रार्थीगण

बनाम

1 अजरूददीन पुत्र ईसब
2 जफरूदीन पुत्र ईसब
3 वरीसा पत्नी अजरूददीन
4 अफसाना पत्नी जफरूदीन
जतियान मेव, निवासी ग्राम धनमतपुरा, तहसील व थाना नगर जिला भरतपुर (राज0)
----------अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 4 व 5 बाबत भरण पोषण हेतु माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007

निर्णय

दिनाक- 22-02-2021

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना इस आशय के साथ संस्थित किया कि प्रार्थीगण उम्रदराज व्यक्ति है जो अपने जीवनचर्या को चलाने के लिए स्वयं के आय के स्त्रोत नही होने के कारण अपने भरण पोषण एवं जीवन निर्वाह के लिए अपने दो पुत्रों एवं पुत्रवधुओ पर आश्रित है जिन्होंने इरादतन प्रार्थीगण को उपेक्षित कर रखा है | जिससे प्रार्थीगण के दैनिक आवश्यकताओं यथा रोटी, कपडा, दवाइयां उपलब्ध नही हो पा रही है जबकि अप्रार्थी अजरूददीन ट्रक ड्राईवर है जो करीब 30,000 रूपये प्रति माह कमाता है तथा अप्रार्थी जफरूददीन लोहे के कारखाने में एवं समय-समय पर अलवर में कंपनी में कार्य करता है जो करीब 30-40 हज़ार रूपये प्रति माह कमा लेता है तथा अप्रर्थी संख्या 3 व 4 ने घर में भैंस पाल रखी है जिनका दूध बेचकर करीब 15-20 हज़ार रूपये प्रति माह कमा लेती हैं और प्रार्थीगण ने खेती-बाडी भी अप्रार्थीगण को दे रखी है जिससे करीब एक-डेढ़ रूपये सालाना आमदनी होती है | अप्रार्थीगण साधन संपन्न है तथा आय के पुख्ता स्त्रोत है प्रार्थीगण पर अपने वृद्ध पिता शेर खां उम्र 90 साल तथा नावालिग दो पुत्र व पुत्रियों की जिम्मेदारी है तथा वे प्रार्थीगण पर आश्रित है | प्रार्थीगण के सहायता मांगने पर अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 व उनकी पत्नियां संख्या 3 व 4 प्रार्थीगण से लड़ते झगड़ते रहते हैं यदि प्रार्थीगण गॉव में किसी से सहायता लेते हैं तो अप्रार्थीगण उनसे भी झगडा करते हैं | अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण को खाने-पीने, दवाई, कपडे-लत्ते, दूध, साग-सब्जी, व नावालिग बच्चों की पढाई हेतु अप्रार्थीगण से 10,000 रूपये प्रति माह

22.2.21

नियमित रूप से दिलवाये जावे एवं अप्रार्थीगण को पाबंद फ़रमाया जावे कि वे प्रार्थीगण को तंग व परेशान नही करें व बेवजह झगडा फिसाद नही करें |

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया परन्तु अप्रार्थीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही | बाद इसके अप्रार्थीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड ए0डी0 की गयी परन्तु अप्रार्थीगण फिर भी उपस्थित नही तत्पश्चात उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही दिनांक 06-11-2020 को की गयी |

इस प्रकार न्यायालय प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को उचित मानते हुए स्वीकार करता है तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के विरुद्ध इस प्रकार से आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी संख्या-1 प्रार्थी संख्या-1 (पिता) व प्रार्थी संख्या-2 (माता) दोनों को प्रतिमाह पृथक-पृथक 2000/- रूपये तथा इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या-2, प्रार्थी संख्या-1 (पिता) व प्रार्थी संख्या-2 (माता) दोनों को प्रतिमाह पृथक-पृथक 2000/- रूपये प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे | इस हेतु वे प्रार्थीगण के बैंक खाता में राशि जमा करवा कर प्रत्येक दो माह में राशि जमा करवाने की रसीद इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे | उक्त आदेश की अवहेलना में आगामी कानूनी कार्यवाही भी अमल में लायी जा सकेगी | निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 22-02-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया |

22.2.21

(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी
नगर (भरतपुर)